रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1066] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1066] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

आय-कर

का.आ. 1532(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 11 की उप-धारा (5) के खण्ड (xii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये 26 नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग IV के नियम 17ग में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे और 26 नवम्बर, 1999 को अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

"(v) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिधानकर्ता कहा गया है) द्वारा किसी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिधानी कहा गया है) के साधारण शेयर में किए गए विनिधान -

(क) जो प्रतिभूतियों का कारबार करने में लगा है या मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार से सहयोजित है ;

(ख) जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए गए निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विनिधानी के माध्यम से उक्त स्टाक एक्सचेंज के संबंध में व्यापार के विनिधानकर्ता सदस्यों को सुकर बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता अर्जित करना है ; और

(ग) जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत साधारण शेयर विनिधानकर्ता द्वारा धारित हैं और अतिशेष साधारण शेयर ऐसे विनिधानकर्ता के सदस्यों द्वारा धारित हैं ।" ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में एक नया खंड (v) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा किए गए विनिधान को उस कंपनी के साधारण शेयरों में सम्मिलित किया जा सके जो उसके द्वारा अन्य स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यता अधिकारों को अर्जित करने के लिए संप्रवर्तित की गई है जहां कम से कम समादत्त शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत स्टाक एक्सचेंज द्वारा धारित है और अतिशेष उसके सदस्यों द्वारा धारित है । संशोधन को 26 नवम्बर, 1999 को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव है ।

लघु स्टाक एक्सचेंजों के बहाली के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारत में सभी स्टाक एक्सचेंजों को समनुषंगियों को संप्रवर्तित करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए 26 नवम्बर, 1999 और 16 दिसम्बर 1999 को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए थे जिससे बृहत्तर स्टाक एक्सचेंजो अर्थात् राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज / मुम्बई स्टाक एक्सचेंज और दोनों ही स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यता अधिकारों को अर्जित किया जा सके । उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में कतिपय प्रादेशिक स्टाक एक्सचेंजों ने समनुषंगी की साधारण पूंजी के 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की रेंज में उतारा था और इस प्रकार के स्टाक एक्सचेंज

राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज / मुम्बई स्टाक एक्सचेंज और दोनों ही स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य हो गए ।

अत: एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 26 नवम्बर, 1999 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में, प्रादेशिक स्टाक एक्सचेंज, 1999 से समनुषंगियों में शेयर विनिधान कर रहे हैं, जब कि नियम 17ग के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5), जैसे वे विद्यमान हैं, ऐसे विनिधानों को अनुज्ञात नहीं करते हैं क्योंकि प्रादेशिक स्टाक एक्सचेंजों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों को इस विषय में अपनाया है । यह आवश्यक हो गया है कि उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों और सुसंगत कर उपबन्धों के मध्य 26 नवम्बर, 1999 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए संपरिवर्तनीयता लाई जाए ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 26 नवम्बर, 1999 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के पश्चात् समनुषंगियों की स्थापना की है । अत: उक्त अधिसूचना को उस तारीख से भूतलक्षी बनाने का प्रस्ताव है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी निर्धारिती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[अधिसूचना सं. 267/2006/फा. सं. 149/118/2006-टीपीएल]
वन्दना रामचन्द्रन, अवर सचिव (टीपीएल-1)

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना सं0 का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम संशोधन आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचना सं0 का.आ.सं0 1287(अ) तारीख 10 अगस्त, 2006 द्वारा किए गए थे .